न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2019 निगरानी

1. ताराचन्द पुत्र सुगन लाल जैन निवासी कोटडी तहसील कोटडी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी तहसील कोटडी
2. दिलीप कुमार जैन पुत्र ताराचन्द पाटोदी निवासी कोटडी तहसील कोटडी

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने आदेश ग्राम पंचायत कोटडी पत्रावली संख्या 06/2054 दिनांक 30.05.1997 एवं उसकी पालना में जारी पटटा दिनांक 02.06.1997

उपस्थित –

1. श्री जे सी विजयवर्गीय अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जय कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.10.2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार ग्राम कोटड़ी के निवासी है एवं निगराकार की पुश्तैनी जायदाद भी अन्दर हल्का आबादी ग्राम कोटड़ी में स्थित हैं। विपक्षी संख्या 02 दिलीप कुमार पाटोदी निगराकार का जैष्ठ पुत्र हैं। निगराकार के पिता सुगन चन्द पाटोदी के दो पुत्र थे भंवर लाल पाटोदी एवं निगराकार ताराचन्द पाटोदी, सुगन चन्द के रिहायसी जायदाद का दो हिस्सो में विभाजन हुआ जिसके आधा हिस्सा निगराकार के हिस्से में आया। निगराकार वृद्ध होकर तीन पुत्र है 1. दिलीप कुमार , 2. राजकुमार एवं 3. धमेन्द्र कुमार पाटोदी निगराकार के जैष्ठ पुत्र दिलीप कुमार जैन ने निगराकार की कब्जेशुदा रिहायशी जायदाद का पंचायत अधिनियम में भूमि विक्रय के नियमों व पुश्तैनी पट्टे प्राप्त करने के नियमों के विपरीत फर्जी शपथपत्र पेश करके विपक्षी संख्या 01 सरपंच से व वार्डपंचो से मिलीभगती करके उपरोक्त वर्णित रिहायशी जायदाद का बापी पट्टा दिनांक 02.06.1997 को अपने स्वयं के नाम पर करा लिया जो गैर कानूनी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पैतृक सम्पत्ति का पट्टा जारी करने में मुझे निगराकार जो विपक्षी संख्या 02 का पिता होकर जीवित है और यह जानते हुए कि जायदाद (मकान) निगराकार का पैतृक है, इस तथ्य की जानकारी विपक्षीगण को होते हुये पट्टा विलेख सम्पादित करने में कानूनी एवं वाकियात भूल की है। अतः आदेश दिनांक 30.05.1997 व उसकी पालनाये पट्टा विलेख 02.06. 1997 में अपास्त किये जाने योग्य है एवं इस सम्बन्ध में जो शपथपत्र पेश किये उसमें व

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मेरे हस्ताक्षरों में काफी भिन्नता है जो देखने से स्पष्ट जारी होता है। भूमि विक्रय के पालना में नियम बने हुये है उनकी पालना न करने पट्टा जारी करने में कानूनी एवं वाकियात भूल की है अतः पट्टा विलेख अपास्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 ने सारी कार्यवाही एक ही समय में कर वार्डपंचो से मिलीभगती कर पट्टा जारी करने में कानूनी एवं वाकियात भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वर्ष 1997 में विपक्षीगण ने पट्टा जारी कराया उसकी जानकारी निगराकार को आज दिन तक नहीं होने भी अभी परिवार में बनाने हेतु चर्चा की तब विपक्षी संख्या 02 ने जाहिर किया कि पट्टा मैने मेरे नाम से बना रखा हैं। निगराकार प्रस्तुत करने में कोई मियाद निश्चित नहीं है एवं न्यायलय पंचायत आदेशो की वैधानिकता व कानूनी होने की परीक्षण करने का पंचायत अधिनियम में अधिकार न्यायालय अधिकार दिया हुआ है और किसी भी समय कर सकते है इसलिए प्रस्तुत निगरानी अवधि बाधित नही हैं। निवेदन हैं कि प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 02 को जारी पटटा आदेश दिनांक 30.05.1997 व 02.06.1997 व पटटे को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 05.02.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि निगराकार ग्राम कोटड़ी के निवासी है एवं निगराकार की पुश्तैनी जायदाद भी अन्दर हल्का आबादी ग्राम कोटड़ी में स्थित हैं। विपक्षी संख्या 02 दिलीप कुमार पाटोदी निगराकार का जैष्ठ पुत्र हैं। निगराकार के पिता सुगन चन्द पाटोदी के दो पुत्र थे भंवर लाल पाटोदी एवं निगराकार ताराचन्द पाटोदी, सुगन चन्द के रिहायसी जायदाद का दो हिस्सो में विभाजन हुआ जिसके आधा हिस्सा निगराकार के हिस्से में आया। निगराकार के जैष्ठ पुत्र दिलीप कुमार जैन ने निगराकार की कब्जेशुदा रिहायशी जायदाद का पंचायत अधिनियम में भूमि विक्रय के नियमों व पुश्तैनी पट्टे प्राप्त करने के नियमों के विपरीत फर्जी शपथपत्र पेश करके विपक्षी संख्या 01 सरपंच से व वार्डपंचो से मिलीभगती करके उपरोक्त वर्णित रिहायशी जायदाद का बापी पट्टा दिनांक 02.06.1997 को अपने स्वयं के नाम पर करा लिया जो गैर कानूनी है। पैतृक सम्पत्ति का पट्टा जारी करने में मुझे निगराकार जो विपक्षी संख्या 02 का पिता होकर जीवित है और यह जानते हुए कि जायदाद (मकान) निगराकार का पैतृक है, इस तथ्य की जानकारी विपक्षीगण को होते हुये पट्टा विलेख सम्पादित करने में कानूनी एवं वाकियात भूल की है। अतः आदेश दिनांक 30.05.1997 व उसकी पालनाये पट्टा विलेख 02.06.1997 में अपास्त किये जाने योग्य है एवं इस सम्बन्ध में जो शपथपत्र पेश किये उसमें व मेरे हस्ताक्षरों में काफी भिन्नता है जो देखने से स्पष्ट जारी होता है। भूमि विक्रय के पालना में नियम बने हुये है उनकी पालना न करने पट्टा जारी करने में कानूनी एवं वाकियात भूल की है, अतः

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पट्टा विलेख अपास्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 ने सारी कार्यवाही एक ही समय में कर वार्डपंचो से मिलीभगती कर पट्टा जारी करने में कानूनी एवं वाकियात भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। निवेदन हैं कि प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 02 को जारी पटटा आदेश दिनांक 30.05.1997 व 02.06.1997 व पटटे को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार की हल्का आबादी ग्राम कोटडी में खुद की कोई पुश्तैनी जायदाद न होकर उसके पिता सुगनलाल की जायदाद हैं, जिसको उन्होंनें अपने जीवनकाल मे ही पारिवारिक मौखिक विभाजन करते हुये गैर निगराकार संख्या 02 दिलीप कुमार को वादग्रस्त भूखण्ड / नोहरा सुगनलाल की सेवा चाकरी करने से खुश होकर देकर कब्जा करा दिया, तभी से गैर निगराकार संख्या 02 पुश्तैनी से प्राप्त इस जायदाद को उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है। मौके पर दो दुकानें एवं दो कमरे बने हुये हैं। स्वयं निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 02 के दो भाई राजकुमार व धर्मेन्द्र ने पचांयत में नियमानुसार स्टाम्प पर अनापत्ति बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 के नाम जारी पटटे की जानकारी निगराकार को 22 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। ग्राम पंचायत कोटडी ने पंचायत नियमों के अधीन नियमानुसार पत्रावली कायम कर, आवदेन लेकर, मौका निरीक्षण एवं आपत्ति मांगना एवं साथ ही निगराकार व गैर निगराकार संख्या 02 के दो भाईयों का अनापत्ति लेकर ही पटटा जारी किया है, जो नियमानुसार सही हैं। गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पटटा एवं इस पटटे का नवीनीकरण पंचायत द्वारा नियमानुसार किया जाकर दिनांक 09.06.2017 को पट्टा विलेख रजिस्टर्ड गैर निगराकार संख्या 02 के नाम पर करा दिया है, ऐसी सूरत में पटटा विलेख को निरस्त किये जाने एवं कानूनी बिन्दुओं को तय किये जाने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। पंचायत कोटडी के समक्ष शपथपत्र बिल्कुल सही होकर पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हैं। उसके फर्जी होने की सम्पूर्ण जांच भी सक्षम सिविल न्यायालय क्षैत्र की है। पटटा 22 वर्ष पूर्व जारी किया गया है। इतने लम्बे समय बाद हस्ताक्षर की भिन्नता बता देना स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं। निगरानी प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होकर खारिज योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, बेबुनियाद एवं मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा मिसल 6/2054 कायम कर राजस्थान पचांयत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत प्रार्थी द्वारा स्वयं की पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने के लिए आवेदन पेश किये जाने पर नियमानुसार कुल 200/– रूपये एवं पटटा शुल्क 25/–रूपये ग्राम पंचायत में जमा किये। तीन वार्ड पंचो द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.04.1997 को आपत्ति पत्र जारी किया गया। एक भी आपत्ति प्राप्त नही होने पर आपत्तियों का निस्तारण बकाया नही होने पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

एवं प्रार्थी के अपने परिवार के सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नही करनें से पत्रावली निर्णय हेतु पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोटडी की मिशल संख्या 06/2054 के परीक्षण अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पटटा जारी किये जाने में ग्राम पचांयत कोटडी द्वारा नियमों की पालना की जाना प्रतीत होती हैं। निगराकार ने शपथ पत्र पर स्वयं के फर्जी हस्ताक्षर होना अपनी निगरानी में अंकित किया हैं, किन्तु उक्त फर्जी हस्ताक्षर होने की कोई एफ. आई. आर. निगराकार द्वारा दर्ज नही करायी गयी। निगराकार ने गैर निगराकार सं. 02 के नाम जारी पुश्तैनी मकान के पटटे पर अपना कब्जा चला आ रहा है, ऐसा कथन निगरानी में अंकित किया है, जबकि निगराकार द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे उक्त मकान पर निगराकार का कब्जा प्रमाणित होता हो। गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में जारी पटटे का पंजीयन हो चुका है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी आधारहीन होने से व दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सिद्ध नहीं होने से एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत कोटडी पंचायत समिति कोटडी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा